

जल शक्ति मंत्रालय

मांग संख्या 60

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

( ₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	5700.24	354.63	6054.87	8189.51	730.88	8920.39	7306.62	366.29	7672.91	7890.15	414.47	8304.62
<b>वसूलियां</b>	-714.26	-27.14	-741.40	-37.37	-23.02	-60.39	-37.37	-23.02	-60.39	-36.37	-23.00	-59.37
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>4985.98</b>	<b>327.49</b>	<b>5313.47</b>	<b>8152.14</b>	<b>707.86</b>	<b>8860.00</b>	<b>7269.25</b>	<b>343.27</b>	<b>7612.52</b>	<b>7853.78</b>	<b>391.47</b>	<b>8245.25</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय												
1.01 सचिवालय	76.34	...	76.34	95.00	...	95.00	84.95	...	84.95	98.83	...	98.83
<b>संबद्ध कार्यालय, अधीनस्थ व अन्य कार्यालय</b>												
2. केन्द्रीय जल आयोग												
2.01 केन्द्रीय जल आयोग	331.49	0.80	332.29	450.87	2.62	453.49	392.75	0.77	393.52	434.75	0.80	435.55
2.02 वसूली	...	...	...	-10.00	...	-10.00	-10.00	...	-10.00	-9.00	...	-9.00
<i>निवल</i>	<i>331.49</i>	<i>0.80</i>	<i>332.29</i>	<i>440.87</i>	<i>2.62</i>	<i>443.49</i>	<i>382.75</i>	<i>0.77</i>	<i>383.52</i>	<i>425.75</i>	<i>0.80</i>	<i>426.55</i>
3. केन्द्रीय जल और ऊर्जा अनुसंधानशाला												
3.01 केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला	71.41	0.20	71.61	93.80	0.30	94.10	76.92	0.11	77.03	86.12	0.11	86.23
3.02 वसूली	-13.00	...	-13.00	-13.10	...	-13.10	-13.10	...	-13.10	-13.10	...	-13.10
<i>निवल</i>	<i>58.41</i>	<i>0.20</i>	<i>58.61</i>	<i>80.70</i>	<i>0.30</i>	<i>81.00</i>	<i>63.82</i>	<i>0.11</i>	<i>63.93</i>	<i>73.02</i>	<i>0.11</i>	<i>73.13</i>
4. केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला	14.06	0.10	14.16	16.32	0.95	17.27	14.91	0.13	15.04	16.27	0.09	16.36
5. सरदार सरोवर निर्माण सलाहकारी समिति	0.69	...	0.69	1.50	...	1.50	0.54	...	0.54	0.58	...	0.58
6. बाणसागर नियंत्रण बोर्ड	0.36	...	0.36	0.70	...	0.70	0.44	...	0.44	0.53	...	0.53
7. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड												
7.01 ऊपरी यमुना नदी बोर्ड	7.76	2.00	9.76	2.48	8.02	10.50	1.29	8.02	9.31	2.32	8.00	10.32
7.02 वसूली	-1.03	...	-1.03	-0.02	-8.02	-8.04	-0.02	-8.02	-8.04	-0.02	-8.00	-8.02
<i>निवल</i>	<i>6.73</i>	<i>2.00</i>	<i>8.73</i>	<i>2.46</i>	<i>...</i>	<i>2.46</i>	<i>1.27</i>	<i>...</i>	<i>1.27</i>	<i>2.30</i>	<i>...</i>	<i>2.30</i>
8. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड	213.64	0.06	213.70	242.00	0.22	242.22	230.58	0.05	230.63	229.40	0.05	229.45
9. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	23.75	...	23.75	26.50	...	26.50	21.00	...	21.00	26.50	...	26.50

( ₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
10. राष्ट्रीय जल सूचनात्मक केंद्र	...	...	...	...	...	...	0.24	0.05	0.29	2.02	0.05	2.07
11. कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00	...	...	...
12. राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	8.00	...	8.00
<b>जोड़-संबद्ध कार्यालय, अधीनस्थ व अन्य कार्यालय</b>	<b>649.13</b>	<b>3.16</b>	<b>652.29</b>	<b>811.05</b>	<b>4.09</b>	<b>815.14</b>	<b>717.55</b>	<b>1.11</b>	<b>718.66</b>	<b>784.37</b>	<b>1.10</b>	<b>785.47</b>
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>725.47</b>	<b>3.16</b>	<b>728.63</b>	<b>906.05</b>	<b>4.09</b>	<b>910.14</b>	<b>802.50</b>	<b>1.11</b>	<b>803.61</b>	<b>883.20</b>	<b>1.10</b>	<b>884.30</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
13. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना												
13.01 इएपी घटक	627.00	...	627.00	600.00	...	600.00	1600.00	...	1600.00	1200.00	...	1200.00
13.02 कार्यक्रम घटक	96.22	...	96.22	170.00	...	170.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
<b>जोड़- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना</b>	<b>723.22</b>	<b>...</b>	<b>723.22</b>	<b>770.00</b>	<b>...</b>	<b>770.00</b>	<b>1620.00</b>	<b>...</b>	<b>1620.00</b>	<b>1220.00</b>	<b>...</b>	<b>1220.00</b>
<b>मुख्य सिंचाई परियोजना</b>												
14. फरक्का बैराज परियोजना												
14.01 फरक्का बैराज परियोजना	66.22	66.26	132.48	126.06	83.19	209.25	73.29	50.18	123.47	59.25	75.00	134.25
14.02 वसूली	...	-15.35	-15.35	-14.25	...	-14.25	-14.25	...	-14.25	-14.25	...	-14.25
<i>निवल</i>	<i>66.22</i>	<i>50.91</i>	<i>117.13</i>	<i>111.81</i>	<i>83.19</i>	<i>195.00</i>	<i>59.04</i>	<i>50.18</i>	<i>109.22</i>	<i>45.00</i>	<i>75.00</i>	<i>120.00</i>
15. पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ से सुरक्षा कार्य	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
16. बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम												
16.01 इएपी घटक	40.33	30.82	71.15	42.32	71.08	113.40	31.12	36.08	67.20	17.70	42.49	60.19
16.02 कार्यक्रम घटक	9.94	0.01	9.95	10.58	0.02	10.60	7.78	0.02	7.80	20.32	8.86	29.18
<b>जोड़- बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम</b>	<b>50.27</b>	<b>30.83</b>	<b>81.10</b>	<b>52.90</b>	<b>71.10</b>	<b>124.00</b>	<b>38.90</b>	<b>36.10</b>	<b>75.00</b>	<b>38.02</b>	<b>51.35</b>	<b>89.37</b>
<b>जोड़-मुख्य सिंचाई परियोजना</b>	<b>116.49</b>	<b>81.74</b>	<b>198.23</b>	<b>164.71</b>	<b>154.30</b>	<b>319.01</b>	<b>97.94</b>	<b>86.29</b>	<b>184.23</b>	<b>83.02</b>	<b>126.36</b>	<b>209.38</b>
<b>नमामि गंगे</b>												
17. राष्ट्रीय गंगा योजना और घाट निर्माण कार्य												
17.01 राष्ट्रीय गंगा योजना	700.00	...	700.00	2250.00	...	2250.00	700.00	...	700.00	700.00	...	700.00
17.02 घाट नदी के मुहाने के सौंदर्यीकरण के लिए काम	...	...	...	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
17.03 राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि को अंतरण	700.00	...	700.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17.04 घटाएँ - राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) से बहन की गई राशि'	-700.00	...	-700.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>700.00</i>	<i>...</i>	<i>700.00</i>	<i>2300.00</i>	<i>...</i>	<i>2300.00</i>	<i>750.00</i>	<i>...</i>	<i>750.00</i>	<i>750.00</i>	<i>...</i>	<i>750.00</i>
<b>नदी बेसिन प्रबंधन</b>												
18. राष्ट्रीय जल मिशन	1.14	0.03	1.17	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19. नदी बेसिन प्रबंधन	186.11	0.10	186.21	223.45	1.55	225.00	199.65	0.35	200.00	199.17	0.83	200.00
20. बाढ़ पूर्वानुमान	34.25	4.95	39.20	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21. नदियों को आपस में जोड़ना	...	...	...	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
<b>जोड़-नदी बेसिन प्रबंधन</b>	<b>221.50</b>	<b>5.08</b>	<b>226.58</b>	<b>224.45</b>	<b>1.55</b>	<b>226.00</b>	<b>199.66</b>	<b>0.35</b>	<b>200.01</b>	<b>199.18</b>	<b>0.83</b>	<b>200.01</b>

( ₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>जल संसाधन प्रबंधन</b>												
22. जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	54.77	7.16	61.93	155.66	55.61	211.27	82.38	14.55	96.93	79.05	20.95	100.00
23. भूजल प्रबंधन और विनियमन												
23.01 भूमिजल प्रबंधन और विनियमन	71.48	194.98	266.46	84.29	380.71	465.00	80.00	195.00	275.00	80.00	195.00	275.00
23.02 वसुली	-0.23	-11.79	-12.02	...	-15.00	-15.00	...	-15.00	-15.00	...	-15.00	-15.00
<i>निवल</i>	<i>71.25</i>	<i>183.19</i>	<i>254.44</i>	<i>84.29</i>	<i>365.71</i>	<i>450.00</i>	<i>80.00</i>	<i>180.00</i>	<i>260.00</i>	<i>80.00</i>	<i>180.00</i>	<i>260.00</i>
24. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना												
24.01 इएपी घटक	87.99	0.15	88.14	103.48	11.52	115.00	36.41	1.41	37.82	72.47	2.53	75.00
24.02 कार्यक्रम घटक	89.54	0.21	89.75	123.48	11.52	135.00	40.77	1.41	42.18	72.47	2.53	75.00
<i>जोड़- राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना</i>	<i>177.53</i>	<i>0.36</i>	<i>177.89</i>	<i>226.96</i>	<i>23.04</i>	<i>250.00</i>	<i>77.18</i>	<i>2.82</i>	<i>80.00</i>	<i>144.94</i>	<i>5.06</i>	<i>150.00</i>
25. अनुसंधान एवं विकास और राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन	44.13	4.95	49.08	82.00	13.00	95.00	45.60	6.40	52.00	43.48	6.52	50.00
26. मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण कार्यक्रम	26.71	0.59	27.30	58.70	4.07	62.77	57.74	2.26	60.00	58.55	1.45	60.00
27. अवसंरचना विकास	3.08	40.55	43.63	2.90	84.86	87.76	2.14	47.86	50.00	2.30	47.70	50.00
<b>जोड़-जल संसाधन प्रबंधन</b>	<b>377.47</b>	<b>236.80</b>	<b>614.27</b>	<b>610.51</b>	<b>546.29</b>	<b>1156.80</b>	<b>345.04</b>	<b>253.89</b>	<b>598.93</b>	<b>408.32</b>	<b>261.68</b>	<b>670.00</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>2138.68</b>	<b>323.62</b>	<b>2462.30</b>	<b>4069.67</b>	<b>702.14</b>	<b>4771.81</b>	<b>3012.64</b>	<b>340.53</b>	<b>3353.17</b>	<b>2660.52</b>	<b>388.87</b>	<b>3049.39</b>
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना</b>												
28. हर खेत को पानी	1355.22	...	1355.22	2600.00	...	2600.00	2181.19	...	2181.19	1069.55	...	1069.55
29. प्रभाव आकलन अध्ययन	0.14	...	0.14	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
30. सतलुज यमुना लिंक नहर के लिए सहायता	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
31. बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	562.67	...	562.67	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32. नदी प्रबंधन कार्यक्रमलाप तथा सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्य	186.35	0.71	187.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33. बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्रों के कार्यक्रम	...	...	...	525.37	1.63	527.00	717.37	1.63	719.00	698.50	1.50	700.00
34. सिंचाई गणना	17.45	...	17.45	50.00	...	50.00	54.50	...	54.50	50.00	...	50.00
35. अटल भू-जल योजना												
35.01 इएपी घटक	...	...	...	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.50	...	0.50
35.02 कार्यक्रम घटक	...	...	...	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.50	...	0.50
<i>जोड़- अटल भू-जल योजना</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>0.04</i>	<i>...</i>	<i>0.04</i>	<i>0.04</i>	<i>...</i>	<i>0.04</i>	<i>1.00</i>	<i>...</i>	<i>1.00</i>
36. पीएमकेएसवाई के अंतर्गत नाबार्ड से ऋण की पूर्ति												
36.01 पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए के नाबार्ड ऋण हेतु ब्याज का भुगतान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1602.00	...	1602.00
36.02 पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए के लिए नाबार्ड ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	32.00	...	32.00

( ₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
36.03 पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राज्यों को नाबार्ड के लिए व्याज आर्थिक सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	360.00	...	360.00
जोड़- पीएमकेएसवाई के अंतर्गत नाबार्ड से ऋण की पूर्ति	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1994.00	...	1994.00
37. विदर्भ और मराठावाड़ा जिला एवं अन्य शेष महाराष्ट्र के भयंकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि आपदा से निपटने के लिए सिंचाई परियोजनाओं हेतु विशेष सहायता	...	...	...	...	...	...	500.00	...	500.00	300.00	...	300.00
<b>जोड़-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना</b>	<b>2121.83</b>	<b>0.71</b>	<b>2122.54</b>	<b>3176.42</b>	<b>1.63</b>	<b>3178.05</b>	<b>3454.11</b>	<b>1.63</b>	<b>3455.74</b>	<b>4114.06</b>	<b>1.50</b>	<b>4115.56</b>
38. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य बेसिन												
38.01 ईएपी घटक	...	...	...	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00
38.02 कार्यक्रम घटक	...	...	...	...	...	...	...	...	...	146.00	...	146.00
जोड़- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य बेसिन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	196.00	...	196.00
<b>जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>2121.83</b>	<b>0.71</b>	<b>2122.54</b>	<b>3176.42</b>	<b>1.63</b>	<b>3178.05</b>	<b>3454.11</b>	<b>1.63</b>	<b>3455.74</b>	<b>4310.06</b>	<b>1.50</b>	<b>4311.56</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>4985.98</b>	<b>327.49</b>	<b>5313.47</b>	<b>8152.14</b>	<b>707.86</b>	<b>8860.00</b>	<b>7269.25</b>	<b>343.27</b>	<b>7612.52</b>	<b>7853.78</b>	<b>391.47</b>	<b>8245.25</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. वृहत और मध्यम सिंचाई	1382.36	...	1382.36	3353.53	...	3353.53	2156.51	...	2156.51	2852.15	...	2852.15
2. लघु सिंचाई	287.33	...	287.33	330.79	...	330.79	315.08	...	315.08	314.81	...	314.81
3. बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी प्रणाली	266.14	...	266.14	196.86	...	196.86	137.31	...	137.31	156.19	...	156.19
4. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	700.00	...	700.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. अन्य परिवहन सेवाएं	66.22	...	66.22	111.81	...	111.81	59.04	...	59.04	45.00	...	45.00
6. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	723.22	...	723.22	3070.00	...	3070.00	2370.00	...	2370.00	1985.60	...	1985.60
7. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	76.34	...	76.34	95.00	...	95.00	84.95	...	84.95	98.83	...	98.83
8. वृहत और मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	...	47.70	47.70	...	165.64	165.64	...	57.74	57.74	...	85.72	85.72
9. लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	...	200.15	200.15	...	407.93	407.93	...	205.55	205.55	...	200.15	200.15
10. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	...	28.73	28.73	...	44.86	44.86	...	23.96	23.96	...	28.40	28.40
11. अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	50.91	50.91	...	83.19	83.19	...	50.18	50.18	...	75.00	75.00
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>3501.61</b>	<b>327.49</b>	<b>3829.10</b>	<b>7157.99</b>	<b>701.62</b>	<b>7859.61</b>	<b>5122.89</b>	<b>337.43</b>	<b>5460.32</b>	<b>5452.58</b>	<b>389.27</b>	<b>5841.85</b>
<b>अन्य</b>												
12. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	334.70	...	334.70	312.99	...	312.99	438.46	...	438.46
13. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1484.27	...	1484.27	639.25	...	639.25	1813.32	...	1813.32	1942.54	...	1942.54
14. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	0.10	...	0.10	20.20	...	20.20	20.05	...	20.05	20.20	...	20.20
15. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	6.23	6.23	...	5.83	5.83	...	2.19	2.19
16. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>1484.37</b>	<b>...</b>	<b>1484.37</b>	<b>994.15</b>	<b>6.24</b>	<b>1000.39</b>	<b>2146.36</b>	<b>5.84</b>	<b>2152.20</b>	<b>2401.20</b>	<b>2.20</b>	<b>2403.40</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>4985.98</b>	<b>327.49</b>	<b>5313.47</b>	<b>8152.14</b>	<b>707.86</b>	<b>8860.00</b>	<b>7269.25</b>	<b>343.27</b>	<b>7612.52</b>	<b>7853.78</b>	<b>391.47</b>	<b>8245.25</b>



10. **राष्ट्रीय जल सूचनात्मक केंद्र:** प्रावधान राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र (NWC) के स्थापना व्यय के लिए है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था। ईएफसी की बैठक 16.10.2015 को आयोजित की गई थी और यह माना गया था कि राष्ट्रीय जल विज्ञान डेटा के महत्व को देखते हुए, संपूर्ण डेटा और निर्णय समर्थन प्रणाली को NWC द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।

12. **राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय:** राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के स्थापना व्यय के लिए प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय गंगा और इसकी उप नदियों को छोड़कर राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, पहचाने गए प्रदूषित नदी क्षेत्रों में नदियों के प्रदूषण उपशमन के लिए अवसंरचना की स्थापना हेतु राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। एनआरसीडी को बजट 2019-20 (नियमित) में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से शिफ्ट कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2018 तक का प्रावधान इसी मंत्रालय के बजट में उपलब्ध है।

13. **राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना:** प्रावधान, गंगा नदी एवं इसकी वितरिकाओं से संबंधित राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के लिए है। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण के तहत विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना का निष्पादन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के रूप में किया जाता है।

14.01. **फरक्का बैराज परियोजना:** प्रावधान, फरक्का बैराज परियोजना के निष्पादन के लिए है।

भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के क्षेत्र और नौबहन क्षमता में सुधार के द्वारा कोलकाता बंदरगाह के संरक्षण और अनुरक्षण के लिए इसे शुरू किया गया था। इसके मुख्य कार्यों में फरक्का बैराज, जांगीपुर बैराज का प्रचालन एवं अनुरक्षण, फीडर नहर, नेविगेशन लॉक्स, सुविधा प्रदान करना तथा भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल की साझेदारी के संबंध में समझौते का कार्यान्वयन शामिल है।

16. **बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम:** प्रावधान, बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम तथा दामोदर घाटी निगम के लिए है, जो कि बांध सुरक्षा और इसके पुनर्स्थापन के लिए परियोजनाओं को शुरू करता है। भारत में बांध सुरक्षा गतिविधियों को लगातार सुदृढ़ करने के भाग के रूप में इस स्कीम को विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया है।

17.01. **राष्ट्रीय गंगा योजना:** प्रावधान, गंगा और इसकी सहायक नदियों से संबंधित स्कीमों/परियोजनाओं के लिए है। इसमें नई एसटीपी को शुरू करने के अलावा मौजूदा सीवेज शोधन संयंत्रों के पुनर्स्थापन और उन्नयन संबंधी स्कीम शामिल है।

17.02. **घाट नदी के मुहाने के सौंदर्यीकरण के लिए काम:** प्रावधान, गंगा नदी के तट के सौंदर्यीकरण संबंधी घाट कार्यों के लिए है।

19. **नदी बेसिन प्रबंधन:** प्रावधान (i) ब्रह्मपुत्र बोर्ड की नियमित स्थापना व्यय के लिए अनुदान और उत्तर पूर्वी राज्यों में निकासी विकास स्कीम, अपरदन रोधी और बांध प्रबंधन निर्माण कार्य, मास्टर प्लानों की सर्वे, जांच और तैयारी /अद्यतन जैसे अपनी नियमित गतिविधियों / कार्य को पूरा करने के लिए है। (ii) जल संसाधन विकास सर्वेक्षण योजना के अंतर्गत सीडब्ल्यूसी द्वारा सर्वेक्षण, जांच और डीपीआर तैयार करने के लिए और एनडब्ल्यूडीए को नियमित स्थापना व्यय के लिए अनुदान और नदियों के बीच में जोड़ने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट और डीपीआर तैयार करने के लिए है। और (iii) नदी मुख प्राधिकरणों की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

21. **नदियों को आपस में जोड़ना:** प्रावधान, देश की नदियों को आपस में जोड़ने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए है।

22. **जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास:** प्रावधान, डाटा बैंक और डाटा बेस के नेटवर्क के साथ मानकीकृत राष्ट्रीय सूचना प्रणाली से संबंधित है, एकीकरण और मौजूदा केन्द्रीय और राज्य स्तर की एजेंसियों को मजबूत बनाने और डेटा और प्रसंस्करण क्षमताओं की गुणवत्ता में सुधार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।

23. **भूजल प्रबंधन और विनियमन:** प्रावधान, बेहतर भूजल शासन के लिए भूजल प्रबंधन एवं नियमन से संबंधित परियोजना के निष्पादन के लिए है।

24. **राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना:** प्रावधान, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, पद्धति और मॉडल ( राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र द्वारा विकसित की गई) पुनः देखना तथा उसको समेकित करना, यदि आवश्यक हो तो आकलन की पद्धति के अनुसार राज्य के इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना, बेसिन के मैक्रो-मॉडल की तर्ज पर राज्य के इंजीनियरों (माइक्रो-मॉडल) द्वारा उप-बेसिन स्तर पर जल आकलन मॉडल का विकास करना, नदी बेसिन आयोजना, विस्तारित हाइड्रोलोजिकल पूर्वानुमान (ईएचपी) बाढ़ पूर्वानुमान (फ्लैश फ्लड, बाढ़ तथा जलभराव के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली) सेडीमेंट मॉडलिंग अध्ययन, राष्ट्रीय जल सूचना केन्द्र (एनडब्ल्यूआईसी) आदि के कार्यान्वयन के लिए है। यह योजना विश्व बैंक सहायता से कार्यान्वित की जा रही है।

25. **अनुसंधान एवं विकास और राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन:** प्रावधान जल के क्षेत्र में शैक्षिक प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास के बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास, तथा जल का संरक्षण, बर्बादी को कम करने तथा राष्ट्रीय जल मिशन के तहत एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के बाहर और भीतर इसका और अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने के हेतु कार्यान्वयनकारी स्कीमों/परियोजनाएं।

26. **मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण कार्यक्रम:** एचआरडी / क्षमता निर्माण कार्यक्रम: इस योजना के तहत इन घटकों के लिए के लिए प्रावधान किया गया है (i) जल संरक्षण के प्रसार और प्रचार के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईसीसी) की गतिविधि (ii) सतह जल क्षेत्र में अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय जल अकादमी हेतु (iii) भूजल क्षेत्र में अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय ग्राउंड वॉटर ट्रेनिंग संस्थान हेतु (iv) उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय संस्थान जल एवं भूमि प्रबंधन (नीरीवाम) की की नियमित स्थापना व्यय एवं गतिविधियों के लिए अनुदान हेतु (v) मंत्रालय और उसके संगठन के अधिकारियों के प्रशिक्षण आदि हेतु।

27. **अवसंरचना विकास:** प्रावधान, अवसंरचना विकास, कार्यालयों और सूचना प्रौद्योगिकी की बुनियादी सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए है।

28. **हर खेत को पानी:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की अनुमोदित स्कीम के घटक- हर खेत को पानी के अंतर्गत (i) जल निकासियों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार, (ii) सतही लघु सिंचाई स्कीमें, और (iii) भूमि जल सिंचाई की स्कीमों के तहत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रावधान है। जबकि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईवीपी), जिसमें प्राथमिकता वाली चिह्नित 99 परियोजनाओं के संबंध में वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम (सीएडीडब्ल्यूएम) शामिल हैं, का वित्तपोषण एलटीआईएफ से ईवीआर के माध्यम से किया जा रहा है, उपर्युक्त घटक बजट माध्यम के अंतर्गत जारी हैं।

29. **प्रभाव आकलन अध्ययन:** प्रभाव आकलन अध्ययन: प्रावधान एआईवीपी कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के प्रभाव आकलन अध्ययन के लिए है।

33. **बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्रों के कार्यक्रम:** बाढ़ के प्रतिकूल प्रभाव को कम व नियंत्रित करने, सीमा नदियों में नदी प्रबंधन कार्य, बाढ़ नियंत्रण कटावरोधन तथा समुद्री कटावरोधन कार्य, कोसी तथा गंडक परियोजना (नेपाल) में बाढ़ संरक्षण कार्यों के रखरखाव के अतिरिक्त पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन परियोजनाओं, हाइड्रोलॉजिकल परीक्षण तथा जांच करने हेतु प्रावधान।

34. **सिंचाई गणना:** प्रावधान, लघु सिंचाई संगणना आदि को युक्तिपूर्ण ढंग से करने के लिए सिंचाई संगणना योजनाओं के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।
35. **अटल भू-जल योजना:** भूजल प्रबंधन में सुधार और प्रोत्साहन के लिए प्रस्तावित नई योजना अटल भूजल योजना (एबीएचआई) हेतु सांकेतिक प्रावधान।
- 36.01. **पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए के नाबार्ड ऋण हेतु ब्याज का भुगतान:** पीएमकेएसवाई के तहत एनडब्ल्यूडीए को नाबार्ड ऋण के लिए ब्याज के भुगतान के लिए प्रावधान है।
- 36.02. **पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए के लिए नाबार्ड ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान:** पीएमकेएसवाई के तहत एनडब्ल्यूडीए को नाबार्ड ऋण के लिए मूलधन के पुनर्भुगतान का प्रावधान है।
- 36.03. **पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राज्यों को नाबार्ड के लिए ब्याज आर्थिक सहायता:** पीएमकेएसवाई के तहत राज्यों के लिए नाबार्ड के लिए ब्याज आर्थिक सहायता का प्रावधान है।
37. **विदर्भ और मराठावाड़ा जिला एवं अन्य शेष महाराष्ट्र के भयंकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि आपदा से निपटने के लिए सिंचाई परियोजनाओं हेतु विशेष सहायता:** यह प्रावधान विदर्भ और मराठावाड़ा में और महाराष्ट्र के क्रमिक रूप से सूखे की अन्य प्रवण क्षेत्रों में कृषि संकट से निपटने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन के लिए।
38. **राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य बेसिन:** राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना: राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य नदी में पहुंचने वाले प्रदूषण लोड में विभिन्न प्रदूषण उपशमन निर्माण कार्यों को आरंभ करने के द्वारा उसमें कमी करके नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों की जल गुणवत्ता में सुधार करना है। यह स्कीम बजट 2019-20 (नियमित) में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्थानांतरित हो गई है। वित्त वर्ष 2018-19 तक का प्रावधान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बजट में उपलब्ध है।